राष्ट्रीय हित की अवधारणा
(THE CONCEPT OF NATIONAL INTEREST)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धान्त के आधार पर करते हैं, उसे 'राष्ट्रीय हित' कहा जाता है। यह राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होता है। दिसम्बर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था, 'किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है।''

चार्ल्स लर्च तथा **अब्दुल सईद** के अनुसार, ''व्यापक, दीर्घकालीन और सतत् उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार में सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं, राष्ट्रीय हित हैं। **वॉन डिक** के अनुसार राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज के रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा या उपलब्धि राज्य एक-दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की अभिलाषाएं हैं जिसे वह अन्य राष्ट्रों के सन्दर्भ में प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले में एक राज्य जो अभिलाषाएं रखता है वे मोटे तौर से विदेश नीति के ध्येय होते हैं और इन ध्येयों को ही राष्ट्रीय हित के नाम से पुकारा जाता है। विदेश नीति के इन ध्येयों को लक्ष्य और उद्देश्य (Goals and objectives) भी कहा जाता है। विदेश नीति के लक्ष्य दीर्घकालिक हित हैं जबकि उद्देश्य केवल तात्कालिक या अल्पकालीन होते हैं।

यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय हित विदेश नीति का उद्देश्य (Objective) है अथवा मूल्य (Value)। जो विचारक राष्ट्रीय हित को 'उद्देश्य' मानते हैं उनके अनुसार यह स्थायी, अपरिवर्तित तथा शक्ति से जुड़ी हुई अवधारणा है। (Those who regard the national interest as objective usually regard national interest as permanent, unchanging and related to power.) जो विचारक इसे मूल्यपरक अवधारणा मानते हैं उनके अनुसार यह शक्ति के अतिरिक्त मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है। (Those who regard the national interest as subjective usually affirm that it includes values other than power) **पैडलफोर्ड** और **लिंकन** के अनुसार, ''राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं—राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन

पद्धति, क्षेत्रीय अखण्डता तथा सीमाओं की सुरक्षा।'' (Concepts of national interests are centred on core values of the society, which include the welfare of the nation, the security of its political belief, national way of life, territorial integrity and its self preservation)

जोसेफ फ्रेंकेल ने अपनी पुस्तक 'नेशनल इण्टरेस्ट' में राष्ट्रीय हित की व्याख्या राष्ट्र की आकांक्षाओं, विदेश नीति के क्रियात्मक, व्याख्यात्मक तथा विवादों का निरूपण करने वाले तत्व के रूप में की है।''

राष्ट्रीय हित के प्रकार
(KINDS OF NATIONAL INTEREST)

थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकार को छः वर्गों मे बांटा हैं, ये हैं :

(1) **प्रथम कोटि के हित** (Primary Interests)—ये वे हित हैं जो किसी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इस प्रकार का सबसे बड़ा हित राष्ट्र की सुरक्षा है।

(2) **गौण हित** (Secondary Interests)—ये वे हित हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं, किन्तु फिर भी राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इस वर्ग के हितों के उदाहरण हैं—विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित बनाना कि विदेशों में अपने देश के राजदूतों की राजनयिक उन्मुक्तियों (Diplomatic Immunities) की तथा नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए।

(3) **स्थायी हित** (Permanent Interests)—ये राज्य के लगभग सदैव बने रहने वाले, दीर्घकालीन लक्ष्य एवं प्रयोजन होते हैं। इनका एक सुन्दर उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों तथा विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्रों में नौचालन की स्वतन्त्रता (Freedom of Navigation) को बनाए रखना है। भारत का इस प्रकार का प्रयोजन देश का शान्तिपूर्ण आर्थिक विकास करना है।

(4) **परिवर्तनशील हित** (Variable Interests)—ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। ऐसे हित प्रथम एवं द्वितीय कोटि से प्रायः भिन्न होते हैं। ये लोकमत तथा विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं।

(5) **सामान्य हित** (Common Interests)—सामान्य हित वे परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति सन्तुलन बनाए रखना इसी प्रकार का सामान्य हित था।

(6) **विशिष्ट हित** (Specific Interests)—ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा सम्बन्ध रखते हैं। जैसे यूरोप में शक्ति सन्तुलन को बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था, किन्तु इस हित को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक था कि ब्रिटिश द्वीपसमूह के सामने इंगलिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैण्ड के प्रदेशों में यूरोप की किसी महाशक्ति का अधिकार न हो। यदि नेपोलियन और हिटलर जैसा कोई सेनापति इस प्रदेश पर अधिकार कर ले तो वह यहां से इंग्लैण्ड पर हमला करने की और उसे जीतने की योजना बना सकता था। दोनों ने ही ऐसा प्रयास किया था। अतः ब्रिटेन का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि बेल्जियम सदैव तटस्थ बना रहे और इस पर यूरोप की किसी महाशक्ति का प्रभुत्व स्थापित न हो। इस कारण यह ब्रिटेन का विशिष्ट हित था।

वस्तुतः राष्ट्रीय हित दो प्रकार के हैं—मार्मिक और अमार्मिक राष्ट्रीय हित अथवा दीर्घकालीन एवं तत्कालीन राष्ट्रीय हित। मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मूलभूत और अत्यन्त महत्वपूर्ण हित हैं। ये किसी राज्य के वे हित हैं जिन पर राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार न हो और जिनकी रक्षा के लिए वह जरूरत पड़ने पर युद्ध करने को भी तैयार हो सकता है। किसी देश का मार्मिक हित इतना बुनियादी समझा जाता है कि अक्सर इसे अस्थायी और दीर्घकालीन समझा जाता है। राष्ट्रीय हित के अन्य सब पहलू इसके सामने गौण समझे जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाधीनता और अखण्डता की रक्षा आदि प्रमुख हैं।

जो हित मार्मिक नहीं होते, जो **तात्कालिक महत्व के गौण हित होते हैं** और जिनके लिए कोई राज्य युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, उन्हें अमार्मिक एवं अस्थायी स्वरूप के राष्ट्रीय हित कहते हैं। ऐसे गौण हित जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, विचारधारा का प्रसार, व्यापार की वृद्धि, संस्कृति का प्रसार, आदि हैं।

मॉरगेन्थाऊ ने राष्ट्रीय हित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की है। उन्होंने तो केवल यह कहा है कि राष्ट्रहित का अर्थ अत्यधिक व्यापक है और उसका स्वरूप उन बहुत-से सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर है जिनके अन्तर्गत किसी राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। उन्होंने राष्ट्रहित के दो मुख्य पक्ष बताए हैं। **एक है स्थिर, स्थायी अथवा आवश्यक और दूसरा है अस्थिर, अस्थायी अथवा अनित्य। स्थिर पक्ष** वह है जो प्रत्येक देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो और **अस्थिर पक्ष** वह है जिसका स्वरूप प्रत्येक देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता हो। राष्ट्र की अस्तित्व रक्षा राष्ट्रहित की न्यूनतम आवश्यकता है और इसलिए यह तार्किक रूप में वांछनीय है। राष्ट्रहित के अस्थायी पक्ष का स्वरूप पहचानना अत्यन्त कठिन है। चूंकि लोकमत, सरकार एवं राजनीतिक-नैतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन होने के साथ-साथ राष्ट्र के अस्थायी पहलू में भी परिवर्तन

होता रहता है। फिर भी राष्ट्रीय हित के स्थायी तत्व अस्थिर तत्वों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। विदेश नीति का प्रमुख कार्य यह है कि वह समय-समय पर राष्ट्र हित के अस्थिर तत्वों को स्पष्ट करती रहे और स्थिर एवं अस्थिर तत्वों में सामंजस्य बिठाए रखे।

राष्ट्रीय हित एक गतिशील धारणा है, यह कोई स्थिर या शाश्वत वस्तु नहीं है। रेमों आरों के अनुसार राष्ट्रीय हित का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लोगों के समूहों से सम्बद्ध है, व्यक्तियों से नहीं। यह विदेश नीति का मार्गदर्शक है जिसका प्राथमिक कार्य अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता की आलोचना करते रहना और नीति-निर्माताओं को दीर्घकालिक उद्देश्यों और तात्कालिक लक्ष्यों में से प्राथमिकताओं का क्रम सुझाते रहना है।

राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विकास
(EVOLUTION OF THE CONCEPT OF NATIONAL INTEREST)

विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रहितों की प्राप्ति अथवा उनकी रक्षा करना है। लॉर्ड पामर्स्टन ने वर्षों पूर्व कहा था कि "हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं हैं और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु। केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं और उन हितों का अनुसरण-सवर्द्धन हमारा कर्तव्य है।"

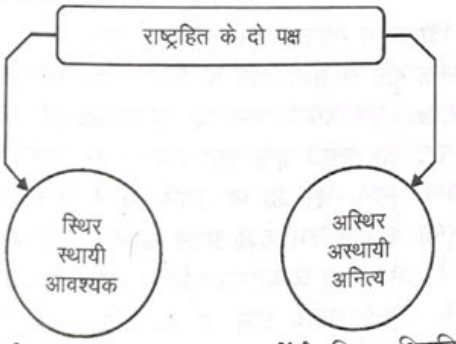

प्राचीन एवं मध्य युगों में, राज्यों के हित अधिपतियों के हित से भिन्न नहीं माने जाते थे। राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध करता था, अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती बनता था, राजा के गौरव में प्रजा भी गौरवान्वित होती थी। राजा पेशेवर सैनिक लेकर दिग्विजय करने निकलता था। वापस लौटने पर लूट का कुछ माल प्रजाजनों में भी वितरित कर देता था। अत: वह राजनीति सहज थी, विदेश नीति मात्र युद्ध करने अथवा नहीं करने की नीति तक सीमित रहती थी।

राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सहज नहीं रह गयी। औद्योगिक क्रान्ति, व्यापारिक उन्मेष, वैज्ञानिक दृष्टि, यातायात तथा संचार के साधनों का प्रचार—इन सबके फलस्वरूप राजनीति केवल राजाओं, राजकुमारों, सामन्तों, सेनापतियों का ही खेल नहीं रह गयी। आधुनिक राष्ट्र राज्यों का सर्वप्रथम यूरोप में उदय हुआ। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। तदनुसार राज्यों की विदेश नीति भी नए आयाम लेकर रूपायित हुई। अधिपतियों